न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेन्द्र प्रसाद वगै. बनाम रामगोपाल

...ख ...इस ...तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु. नं. - 71/2018	
	वादी अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी नं. 9 व 10 का नाम हजफ किये जाने का निवेदन किया जिस पर वकील वादीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद-पत्र से प्रतिवादी नं. 9 व 10 का नाम हजफ किया जाता है। जिसे लाल स्याही से अंकित किया गया। वादीगण साक्ष्य में वादी नं. 2 फूलचन्द सामोता व वादी गवाह मैं रामावतार का लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 9-9-2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	रामावतार सामोता
09.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते अंतिम निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.09.2021 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
23.09.2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। ... अनुसार वाद पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली ... तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/09 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जेला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
71/2018	2018/246	08.08.2018	23.09.2021

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद सामोता
2. फूलचन्द सामोता
3. नागरमल सामोता
   पुत्रगण स्व0 रणजीतराम, समस्त जाति जाट निवारी ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रणजीत राम दत्तक पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. मोहरी देवी पत्नी स्व0 रणजीत राम जाति जाट निवासी ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
3. सन्तोष देवी पुत्री स्व0 रणजीत राम पत्नी लक्ष्मणसिंह हाल निवासी ससुराल ग्राम लांपुवा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. बनारसी देवी पुत्री स्व0 रणजीत राम पत्नी प्रहलाद सिंह हाल निवासी ससुराल ग्राम लांपुवा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. सन्तरा देवी पुत्री स्व0 रणजीतराम पत्नी सूर्यप्रकाश हाल निवासी ससुराल ढ़ाणी पानावाली ग्राम कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
6. मंजू देवी पुत्री स्व0 रणजीत राम पत्नी रक्षपाल हाल निवासी ससुराल ढ़ाणी पानावाली ग्राम कासंरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
8. मैनेजर, एक्सीस बेंक शाखा, श्रीमाधोपुर।
9. मैनेजर, भूमि विकास बैंक शाखा, श्रीमाधोपुर —— नाम हजफ दिनांक 06.09.2021
10. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा, श्रीमाधोपुर —— नाम हजफ दिनांक 06.09.2021

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री झाबर सिंह भारद्वाज, वादीगण अधिवक्ता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:49 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्री कमल कुमार शर्मा, प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 अभिभाषक
श्री हरि प्रसाद गुप्ता, प्रतिवादी नं. 8 अभिभाषक

वादपत्र बाबत उदघोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1868 से 1875, 1877, 1878 कुल किता 10 कुल रकबा 8.6100 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत सिंह पुत्र नाथूसिंह के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1615, 1622, 1623 कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टर के हिस्सा 1/9 की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत राम पुत्र नाथूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 हैक्टर के हिस्सा 1/8 की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत पुत्र नाथूराम के दर्ज रिकार्ड हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.4800 हैक्टर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत पुत्र नाथूराम के दर्ज रिकार्ड हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1624, 1625 कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टर की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत पुत्र नाथूराम के दर्ज रिकार्ड हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.6800 हैक्टर की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत पुत्र नाथूराम के दर्ज रिकार्ड हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1807 से 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.6100 हैक्टर के हिस्सा 1675/16524 एंव हिस्सा 11/56 की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीत पुत्र नाथूराम के दर्ज रिकार्ड हैं। वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 6 आपस में एक ही परिवार से है जो सजरा खा[illegible] स्पष्ट है एंव मृत्तक रणजीतसिंह उर्फ रणजीतराम के वारिसान पुत्रगण–पुत्रीयां–पत्नी है। [illegible] रामगोपाल बाल्यावस्था में ही हरिराम के गोद चला गया था। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमियों से कोई संबंध या सरोकार नहीं है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि व[illegible]ण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23.49 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पिता–पति मृत्तक रणजीतसिंह उर्फ रणजीत राम पुत्र नाथूसिंह उर्फ नाथूराम के नाम दर्ज हक हिस्सा खातेदारी की भूमियों पर वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं 1 को वादीगण की भूमियों के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं होने से वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादीगण की वृद्ध माता है जिसकी सेवा सुश्रुषा वादीगण करते आ रहे है तथा प्रतिवादिया सं. 3 ता 6 वादीगण की सगी बहने है जो शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है। वकील वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी से वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीतसिंह उर्फ रणजीतराम पुत्र नाथूसिंह उर्फ नाथूराम का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने बाबत उक्त दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में दिनांक 22.11.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 7 व 8 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 9 व 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर उनका नाम हजफ किया गया। साक्ष्य वादीगण में वादी नं. 2 फूलचन्द सामोता व वादी गवाह में रामावतार के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 7 व 8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने प्रतिवादी सं. 9 व 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनका नाम हजफ करवा लिये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता–पति मृत्तक रणजीत सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:26:49 IST
Reason: SelfAttested

23/-/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पुत्र नाथूसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृत्तक रणजीत सिंह उर्फ रणजीत राम के वारिसान् पुत्रगण–पुत्रीयॉ–पत्नी है। प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल बाल्यावस्था में ही हरिराम के गोद चले जाने से उक्त भूमियों से प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमियों से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1868 से 1875, 1877, 1878 कुल किता 10 कुल रकबा 8.6100 हैक्टर के 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 1615, 1622, 1623 कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टर के हिस्सा 1/9, खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 हैक्टर के हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.4800 हैक्टर के हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 1624, 1625 कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टर व खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1807 से 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.6100 हैक्टर के हिस्सा 1675/16524 एंव हिस्सा 11/56 की खातेदारी से वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीतसिंह उर्फ रणजीत राम पुत्र नाथूसिंह उर्फ नाथूराम का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई आज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1868 से 1875, 1877, 1878 कुल किता 10 कुल रकबा 8.6100 हैक्टर के 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 1615, 1622, 1623 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1900 हैक्टर के हिस्सा 1/9, खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 हैक्टर के हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.4800 हैक्टर के हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 1624, 1625 कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टर व खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1807 से 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.6100 हैक्टर के हिस्सा 1675/16524

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:49 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

एंव हिस्सा 11/56 की खातेदारी से वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 6 के पिता–पति मृत्तक रणजीतसिंह उर्फ रणजीत राम पुत्र नाथूसिंह उर्फ नाथूराम का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 23/09/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 23/09/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:49 IST
Reason: SelfAttested